रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012024-251600
CG-DL-E-25012024-251600

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2024/माघ 5, 1945
No. 62]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2024/MAGHA5, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 69(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (श्रेणी III) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक उसका संबंध वरिष्ठ प्रूफ रीडर के पद से है और उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में वरिष्ठ प्रूफ रीडर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, वरिष्ठ प्रूफ़ रीडर, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति; -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा कीं है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या गैर-चयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ प्रूफ रीडर	1* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-5 (रु.29200–92300/-).	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीया नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	नहीं।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा; और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**वे भर्ती करने में किन किन परिस्थितियों संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** प्रूफ रीडर जिन्होंने, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रु. 25500-81100/-) में ग्रेड	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता

	में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पणी:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, और या प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	निम्नलिखित होंगे:- (1) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता - अध्यक्ष; (2) कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य; (3) कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य।	

[फ़ा. सं. 01/07/2023-सीएसबी]

नमीता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2024

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Botanical Survey of India (Class III) Recruitment Rules, 1964 in so far as they relate to the post of Senior Proof Reader, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Proof Reader in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely: -

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, Senior Proof Reader, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix .-**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.–**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Senior Proof Reader.	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200 – 92300/-).	Non-selection.

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualification required for direct recruits**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable	Not applicable	No	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made**	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By promotion	**Promotion:** Proof reader in Level-4 (Rs. 25500 - 81100/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee, (for considering promotion) consisting of:-** (1) Director, Botanical Survey of India, Kolkata – Chairman; (2) Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; (3) Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member.	Not applicable.

[F. No. 01/07/2023-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.25 20:01:46 +05'30'